



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना अफजलगढ

दिनांक 22.12.2024

थाना अफजलगढ पुलिस ने अभियुक्त को अवैध कच्ची शराब सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.12.2024 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त हरदीप सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम जामुनवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को एक प्लास्टिक की जरीकैन में 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 376/24 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1.हरदीप सिंह पुत्र इन्द्रजीत सिंह निवासी ग्राम जामुनवाला थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

10 लीटर अवैध कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—आरक्षी 200 अश्वनी थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2—आरक्षी 2134 नितिन कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- थाना अफजलगढ

दिनांक 22.12.2024

थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा जुआ खेलते हुये अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण-

जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी/वांछित/जुआ/सट्टे में संलिप्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा अभियुक्त सलमान पुत्र फारुख निवासी मौ० नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ को अवैध जुआ की खाईबाडी करते हुये सट्टा डायरी व 540 रुपये नगदी आदि सहित गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना अफजलगढ पर मु०अ०सं० 375/24 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1.सलमान पुत्र फारुख निवासी मौ० नेजो सराय कस्बा व थाना अफजलगढ बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-मुख्य आरक्षी 540 पुष्पेन्द्र सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।
- 2-आरक्षी 943 रजनीश कुमार थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट— थाना नजीबाबाद

दिनांक 22.12.2024

थाना नजीबाबाद पुलिस ने वारंटी / हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 22.12.2024 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त शहजाद पुत्र मौहम्मद युसूफ निवासी मौ० पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को एक अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नजीबाबाद पर मु०अ०सं० 602/24 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना नजीबाबाद का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है (जिसका एचएस नं०— 252ए है)। विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता—

1. शहजाद पुत्र मौहम्मद युसूफ नि० मौ० पठानपुरा कस्बा व थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण—

01 अवैध चाकू

आपराधिक इतिहास—

1. मु०अ०सं० 602/2024 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 266/20 धारा 323/354/504/506 भादवि 7/8 पोक्सो एक्ट थाना नजीबाबाद
3. मु०अ०सं० 126/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
4. मु०अ०सं० 37/24 धारा 3/5/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
5. मु०अ०सं० 07/21 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
6. मु०अ०सं० 680/22 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
7. मु०अ०सं० 150/2019 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
8. मु०अ०सं० 406/2020 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
9. मु०अ०सं० 558/2019 धारा 5/8 गौवध अधि० व 11 पशु क्रूरता अधि० थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम—

- 1—उ०नि० नितेन्द्र सिंह थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 2—हे०का० 647 यशवीर राठी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।
- 3—आरक्षी 2029 अंशुल थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।



जनपद बिजनौर
प्रेस नोट – थाना नगीना

दिनांक – 22.12.2024

थाना नगीना पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में 03 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों मय कारतूस, घटना में प्रयुक्त एक गाडी व पशु वध के उपकरण सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 22.12.2024 को रात्रि में थाना नगीना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा नगीना में नगीना से अकबराबाद रोड पर आम के बाग में तीन बदमाश प्रतिबंधित गोवंशीय पशुओं का वध करने वाले हैं। उक्त सूचना पर थाना नगीना पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये बाग में पहुंची तो 03 व्यक्ति 02 गोवंशीय पशुओं को काटने के लिये गोवंशीय पशुओं के पैर व मुंह बांधते हुए दिखाई दिये। अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं को पुलिस की टीम से घिरा देखकर, पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में अभियुक्त मौहम्मद अहमद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ढकिया पीरु थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद एवं अभियुक्त नईम पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम ढकिया जट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद के पैर में गोली लगी, जिससे वह दोनों घायल हो गये, घायल दोनो अभियुक्तों व अभियुक्त बब्बू पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भौजपुर जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त घायल दोनों अभियुक्तों को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया।

अभियुक्त मौहम्मद अहमद के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर व तमंचे की नाल में फंसा एक मिस कारतूस 315 बोर व अभियुक्त नईम के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर मय खोखा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। घटनास्थल से पशु वध करने के उपकरण, एक महिन्द्रा बुलेरो कार नम्बर UA06B7696 व 02 जीवित गोवंशीय पशु (गाय) बरामद हुई। इस घटना के संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 348/2024 धारा 109(1) बीएनएस धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम व धारा 3/5ए/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि ये तीनों मिलकर गांवों से गोवंशीय पशुओं को खरीदने के बहाने से ऐसे घरों को चिन्हित कर लेते हैं और उसी दौरान रैकी कर लेते हैं तथा रात्रि में उन पशुओं को मौका देकर चोरी कर लेते हैं। पशुओं को चोरी करने के बाद पशुओं को जंगल में ले जाकर वध कर देते हैं तथा मांस को गाडी में भरकर, मांग के अनुसार अपने आस-पास के गांवों में जाकर ऊंचे दामों में बेच देते हैं। इनके द्वारा दिनांक 21/22.12.2024 की रात्रि को कस्बा नगीना से दो गाय चुरायी थी तथा कुछ दिन पहले इन्होंने ग्राम काजीवाला से भी एक घर से दो भैंसे चुरायी थे और उनको काटकर मांस बेच दिया था।

उपरोक्त दोनों चोरी की घटना के संबंध में थाना नगीना पर मु0अ0सं0 343/2024 धारा 305(ए) बीएनएस व मु0अ0सं0 349/24 धारा 305(ए) बीएनएस पंजीकृत है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

- 1- मौहम्मद अहमद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ढकिया पीरु थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 2- नईम पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम ढकिया जट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 3- बब्बू पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भौजपुर जनपद मुरादाबाद ॥

बरामदगी का विवरण –

- 1- 01 तमचा 315 बोर मय 01 मिस कारतूस 315 बोर ।
- 2- 01 तमचा 12 बोर व एक खोखा कारतूस 12 बोर ।
- 3- 02 जीवित गौवंशीय पशु ।
- 4- पशु वध करने के उपकरण ।
- 5- एक महिन्द्रा बुलेरो गाडी नम्बर UA06B7696

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त मौहम्मद अहमद पुत्र हनीफ निवासी ग्राम ढकिया पीरु थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।

- 1- मु0अ0सं0 237/2022 धारा 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 343/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 3- मु0अ0सं0 348/2024 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 4- मु0अ0सं0 349/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त नईम पुत्र मौहम्मद अली निवासी ग्राम ढकिया जट थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।

- 1- मु0अ0सं0 86/2018 धारा 3/5/8 गौ वध अधि0 थाना डिलारी जनपद मुरादाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 448/2021 धारा 269/270/429 भादवि थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।
- 3- मु0अ0सं0 22/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।
- 4- मु0अ0सं0 402/2023 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।
- 5- मु0अ0सं0 465/2023 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद ।
- 6- मु0अ0सं0 306/2024 धारा 2/3 गैग्रेस्टर अधि0 थाना भौजपुर जनपद मुरादाबाद ।
- 7- मु0अ0सं0 343/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 8- मु0अ0सं0 348/2024 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 9- मु0अ0सं0 349/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

अभियुक्त बब्बू पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भौजपुर जनपद मुरादाबाद ।

- 1- मु0अ0सं0 292/2017 धारा 3/4 जुआ अधिनियम भौजपुर जनपद मुरादाबाद ।
- 2- मु0अ0सं0 145/2023 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना स्वार जनपद रामपुर ।
- 3- मु0अ0सं0 195/2023 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना स्वार जनपद रामपुर ।
- 4- मु0अ0सं0 488/2024 धारा 3/5ए/8 गौवध निवारण अधि0 व धारा 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना भोजपुर, मुरादाबाद ।
- 5- मु0अ0सं0 343/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 6- मु0अ0सं0 348/2024 धारा 109(1) बीएनएस, धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम, 3/5ए/8 उ0प्र0 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 7- मु0अ0सं0 349/2024 धारा 305(ए) बीएनएस थाना नगीना जनपद बिजनौर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- श्री हरिओम सिंह चौहान थानाध्यक्ष नगीना जनपद बिजनौर ।
- 2- उ0नि0 उदयवीर सिंह थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 3- उ0नि0 गजेन्द्र सिंह उज्जवल थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 4- मुख्य आरक्षी विपिन कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।
- 5- आरक्षी राजेश कुमार, आरक्षी ललित कुमार, आरक्षी गौरव कुमार, आरक्षी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह व आरक्षी रिकू कुमार थाना नगीना जनपद बिजनौर ।